145

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 1995 (चैत्र 3, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री ऊर्जा, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, विधान सभा के अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र में तारांकित प्रश्न क्रमांक-94 पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के संदर्भ में मंत्रिमंडल के सदस्यों के बंगलों पर पिछले पांच वर्षों में हुए व्यय की वर्षवार जानकारी पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बनवारीलाल अग्रवाल, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम तेंदो में दो युवकों की हत्या होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री प्रभात कुमार पाण्डेय, मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम खिरहनी की तीन आदिवासी युवतियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री धरमूराय, सदस्य, सागर जिले के बादरी वन परिक्षेत्र के अनेक स्थानों पर पत्थर का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रघुनन्दन शर्मा, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, नरसिंहगढ़ के अनेक ग्रामों में चेचक के प्रकोप से अनेक बच्चों की मौत से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) ठाकुर मोहर सिंह, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम सतोह चक्क में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रामदेव सिंह, सदस्य, सतना जिले के अनेक ग्रामों में अवैध उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, हरदा स्थित सोयाबीन प्लांट से प्रदूषित जल निकासी से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री गोविंद मिश्रा, सदस्य, सीधी जिले के अनेक ग्रामों में ट्यूबवेल बंद होने से सिंचाई कार्य प्रभावित होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री ओमप्रकाश खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसौद में डकैती की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री राजाराम तोडेम, सदस्य, बस्तर जिले में बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना में उत्खनन से प्रदूषण फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री कमल किशोर पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के हरदा एवं टिमरनी क्षेत्र के अनेक ग्रामों में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, भिण्ड जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बंदूकों के लायसेंस जारी किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-102 लैलूंगा के सदस्य, श्री प्रेमसिंह सिदार को फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र में दिनांक 25-3-95 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-246 कुरवाई के सदस्य, श्री चिरौंजीलाल सोनकर को फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र में सभा की शेष बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री परसराम धुर्वे, सभापति, आश्वासन समिति का षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री शिवप्रताप सिंह (गुना), सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, रायसेन जिले के सांची विधान सभा क्षेत्र के ओला प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि दिलाये जाने ;

(2) श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले के ग्राम बायग के कृषकों को भूमि का मुआवजा दिलाये जाने ;

(3) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम आचलपुरा में अवैध सड़क निर्माण को रुकवाये जाने ;

(4) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) ग्राम हरदी के कृषकों को भूमि का मुआवजा दिलाये जाने ;
(ख) ग्राम नंदना से शहडोल-बुढ़ार मुख्य मार्ग तक सड़क बनाये जाने ;
(ग) ग्राम हरदी व नंदना के आदिवासी मुहल्लों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाने ; तथा
(घ) ग्राम हरदी व नंदना में अधूरे बने बांध को पूर्ण कराकर उससे लिफ्ट इरीगेशन सुविधा प्रारंभ कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का वक्तव्य

श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व) दिनांक 13 दिसम्बर, 1994 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 194) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 7 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 8 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (3) श्री बिसाहूलाल सिंह, राज्यमंत्री पशुपालन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 2 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 4 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

-3-

निर्धारित समय

9. अशासकीय संकल्प

35 मि. (1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाय."

30 मि. (2) श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का यह मत है कि राज्य शासन प्रदेश में दस या इससे अधिक कर्मकार, ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित करने के लिये ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में आवश्यक प्रावधान करने की शीघ्र कार्यवाही करे."

35 मि. (3) श्री माधव सिंह ध्रुव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर वन ग्रामों में अस्थायी पट्टाधारी कृषकों को स्वामित्व दिया जाय."

30 मि. (4) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के माध्यम से होने वाले विकास कार्य की कम से कम पांच प्रतिशत राशि मुआवजा वितरण हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान दिशा-निर्देशिका में किया जाय."

20 मि. (5) श्री ज्ञानसिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल से दुर्ग व्हाया कटनी-बिलासपुर होकर चलने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस को नियमित किया जाय."

10. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 14 दिसम्बर, 1994 को उप मुख्यमंत्री (कृषि) से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्रमांक 2609) एवं प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 2610) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 23 फरवरी, 1995 को नगरीय कल्याण मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्रमांक 1035) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला बाजा
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 23 मार्च, 1995